



2026:AHC:21682

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 188e3 सन् 2026

राजू लाल ..... याचिकाकर्ता

बनाम

अपर आयुक्त न्यायिक और 2 अन्य ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुधीर कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्टि है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 1-अतिरिक्त आयुक्त, न्यायिक, प्रयागराज डिवीजन, प्रयागराज को अपील संख्या 2358/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C202502000002358 का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार और अनावश्यक स्थगन दिए बिना करने का निर्देश दिया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"